

क्रमांक: प.7(8)/डीएमई/नर्सिंग/2014/

दिनांक:-

### आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7(11)डीएमई/नर्सिंग/2014/3822 दिनांक 02.06.2016 के बिन्दु संख्या 8 के दिशा निर्देश के अनुसार राजकीय नर्सिंग कॉलेज, चूरु को स्ववित्त योजना (self finance scheme) के तहत संचालित बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए पूर्व में निर्धारित सीटों (60 सीटों) के लिए सत्र 2021-2022, 2022-23, एवं 2023-24 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र का वार्षिक नवीनीकरण किया जाता है।

-EE-  
[भवानी सिंह पालावत]  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.) एवं  
पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: प.7(8)/डीएमई/नर्सिंग/2014/5917

दिनांक:-17/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार।
3. सचिव, भारतीय नर्सिंग परिषद, दिल्ली, 8 वां फ्लोर, एन.बी.सी.सी. सेन्टर प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर ओखला फेज-1, न्यू दिल्ली-110020
4. निदेशक (पब्लिक हेल्थ), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, जयपुर।
7. पीएमओं, राजकीय जिला अस्पताल, चूरु।
8. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, चूरु।
9. प्रधानाचार्य, राजस्थान नर्सिंग कॉलेज, चूरु।
10. रक्षित पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशा०) एवं  
पदेन संयुक्त शासन सचिव